



प्रेस नोट/सराहनीय कार्य

दिनांक- 02.10.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

बोलेरो पिकप वाहन सहित 10 राशि जिन्दा गाय, 02 राशि बछिया व 01 राशि मूर्छित गाय बरामद- थाना तरया सुजान-

जनपद में गोवंशीय पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरया सुजान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मुस्तफा पुत्र झब्बर दिवान सा0 खानगी बरवा टोला थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर व दीपू प्रसाद पुत्र मैनेजर सा0 माधोपुर बुजुर्ग थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के साथ एक बोलेरो पिकप वाहन संख्या UP 57 AT 3076 से 10 राशि जिन्दा गाय, 02 राशि बछिया व 01 राशि मूर्छित गाय बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तरया सुजान पर मु0अ0सं0 452/19 धारा 429 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु कुरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वान्छित की गिरफ्तारी-(कुल- 02)

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस द्वारा **02 नफर वान्छित** 1.काशिम पुत्र मोती सा0 चन्दरपुर थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0अ0सं0 303/19 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट, 2.एक नफर अभियुक्ता को अन्तर्गत मु0अ0सं0 579/16 धारा 498A,323,504,506 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-04)

थाना नेबुआ नौरंगिया-

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा **3 नफर वारंटी** 1. अवधेश पुत्र जोखू 2.निर्मल कुमार विश्वास पुत्र नितार्चन्द्र विश्वास निवासीगण खजुरी बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 180/2002 धारा 147,427,504,506 भादवि, 3. उमेश यादव पुत्र देवराज यादव सा0 चौरहा खुर्द थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को अन्तर्गत मु0नं0 43/12 व 172/12 धारा 8/20 NDPS ACT में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना हनुमानगंज-

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा **1 नफर वारंटी** कैलाश पुत्र सुन्दर सा0 जोकहिया टोला बुलहवा थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को मु0नं0 1252/11 धारा 323,504,506,452 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा **18 नफर अभियुक्तों** को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही वाहन सीज-02 कुल वाहन- 25 से शमन शुल्क- रु0-10100/-
- 2- वारंटियों की गिरफ्तारी- (कुल-04)
- 3- वान्छित की गिरफ्तारी- (कुल-02)
- 4- पशु कुरता अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-01 ,व्यक्ति-02, बरामदगी- 10 राशि जिन्दा गाय, 02 राशि बछिया व 01 राशि मूर्छित गाय।
- 5- जनपद में कुल गिरफ्तारी –(कुल-26)

मीडिया सेल
कुशीनगर।